न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 39/2020 (फोरलेन) ऑनलाईन नम्बर 2020/00327

उनवान

1 श्री रतना गुर्जर पुत्र रायमल गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6—ए—1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. तहसीलदार सहाडा, तहसील सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति दाखी बाई पत्नि गंगाराम गुर्जर (मृतक के बजाय कायम मुकाम)।

4/1 श्री नारायण पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

4/2 श्री बदरीलाल पिता गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

4/3 कमला पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

4/4 जस्सू पुत्री गंगाराम गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा।

5. गंगाराम पिता अमरा गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाडा (आदेश 09.05.2024 से नाम डिलीट किया गया।)
6. देऊ पिता अमरा गुर्जर, निवासी गलोदिया, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—3जी—5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक फोरलेन/2014/प्रतिकर निर्धारण/3 दिनांक 25/30.06.2015

उपस्थित —

1 अधिवक्ता प्रार्थी— हरदयाल वर्मा, श्री लादूलाल गुर्जर

2. अधिवक्ता अप्रार्थी — श्री मुकुट बिहारी दाधिच, श्री गोविन्द मेवाड़ा।

निर्णय

दिनांक : 28—05—2025

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3—जी—5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ग्राम गलोदिया तहसील सहाडा की आराजी संख्या 259/1962 रकबा 0.0050 हैक्टर जिसमें प्रार्थी को 1/2 है जिस प्रार्थी के हिस्से को राजसमंद से भीलवाडा सेक्शन फोरलेन हेतु अवाप्त की गयी। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धार 3 में खण्ड—क के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को भूमि अवाप्ति हेत सक्षम अधिकारी नियुक्त कर अधिसूचना दिनांक 14.08.2012 से प्राधिकृत किया गया। दिनांक 28.03.2014 को समाचारा पत्रों में प्रकाशित करवाई जिसकी व्यक्तिगत तामील नहीं

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा